



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादान/2018-19/ 572
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-समस्त।

जयपुर, दिनांक: 30-4-19

संशोधन पत्र

विभागीय समसख्यंक पत्रांक 320 दिनांक 18.04.2019 के बिन्दु संख्या 6 के अन्तर्गत "जो कि पहले अनिवार्य शर्त थी", के स्थान पर "पहले भी मूल्यांकन का आधार थी" पढ़ा जावे।

SM

(कुसुम धारवाल)
वित्तीय सलाहकार
जयपुर, दिनांक:

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/लेखा/एफ.एफ.सी./निष्पादान/2017-18/
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001।
4. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
6. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय - 5) विभाग, जयपुर।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त दिशा निर्देशों की प्रति आपके अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।
10. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), मुख्यालय।
11. ऐमालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

SM

वित्तीय सलाहकार